International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 27-10-2023, Accepted: 13-11-2023, Published: 29-11-2023
Volume 9, Issue 6, 2023, Page No. 16-17

उन्नीसवीं शताब्दी के भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति तथा सुधार कार्य

रविना
इतिहास विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, निवाई जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
प्राचीन काल में भारत में महिलाओं की दशा बहुत उच्चकोटि की थी। उन्हें अपने व्यक्तित्व के निर्माण, शिक्षा, विवाह, सम्पत्ति सभी में पुरूषों के समान स्थान प्राप्त था। महिलाओं को सब प्रकार की समृद्धि का लक्ष्य माना जाता था। कालांतर में उनकी अवस्था अवनत होती गई। उत्तर वैदिक काल तथा स्मृति युग में उनकी अवस्था पतनोमुख हो गई थी, मध्यकाल तक आते–आते इनकी दुर्दशा हो गई थी। उनकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई थी। पर्दा प्रथा, बालविवाह, कन्या वध, देवदासी प्रथा, सती प्रथा जैसी घृणास्पअ तथा कुप्रथाएं जीवन का अंग बन गई थी। विधवा पुनर्विवाह होने बंद हो गए थे। बंगाल में कुलीनों में बहुविवाह प्रचलित थे। महात्मा गांधी ने महिलाओं की इस दुर्दशा को समाज के ढांचे में 'अधरंग' जैसी बतलाई है। विश्व के संदर्भ में भी महिलाओं की दशा अच्छी न थी। मध्यकाल तथा आधुनिक काल में उनकी अवस्था भी पतनोन्मुख थी। भारतीय समाज में चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ था। इस अंधकार का प्रमुख कारण भारतीय समाज में प्रचलित अनेक प्रकार की सामाजिक तथा धार्मिक कुप्रथाएं थी। इन प्रथाओं के चलते भारतीय समाज तीव्रता से पतन की ओर अग्रसर हो रहा था तथा प्रकाश की कहीं कोई किरण दिखाई नहीं पड़ रही थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए कुछ प्रयास हुए, इसमें अनेक महान सुधारकों तथा विभिन्न सुधार आन्दोलनों की मुख्य भूमिका रही। कुछ मात्रा में इन कुप्रथाओं को रोकने के लिए ब्रिटिश शासन का भी सहयोग रहा।

मूल शब्दः व्यक्तित्व, अवनत, पतनोन्मुख, कुप्रथाएं, संदर्भ, दुर्दशा, अंधकार, अग्रसर

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थितिः महिलाओं में अनेक कुरीतियों तथा कुछ सामान्यतः भारत में मुस्लिम आक्रमणों के काल से हुआ था। महिलाओं की घर से बाहर जाने की स्वतंत्रता नष्ट हो गई थी तथा उसका कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी तक सीमित रह गया था। मुस्लिम शासकों एवं अमीरों में हरम की व्यवस्था थी। वस्तुतः आक्रमणकारियों के भय से बाल विवाह को भी प्रोत्साहन मिला था। लेकिन निम्न जातियों में यह पर्दे की प्रथा न थी। दक्षिण भारत में महिलाएं इस कुप्रथा से मुक्त थी। इस कुप्रथा से महिलाओं की गतिशीलता तथा व्यक्तित्व का विकास रूक गया तथा उनमें अशिक्षा, अज्ञान बढ़ा। कन्या वध की प्रथा समृद्ध तथा उच्च वर्ग में प्रचलित थी। बनारस, काठियावाड़, राजपूतों आदि में यह मुख्य रूप से प्रचलित थी। इसके पीछे विदेशियों के आक्रमणों से डर तथा दहेज के रूप में भारी धनराशि का व्यय था। अनेक राजपूतों में कन्या विवाह के अवसर पर सर झुकाना प्रतिष्ठा के विपरीत समझा जाता था। अतः यह मौका ही न आये, कन्या का वध कर दिया जाता था। प्राचीन काल में कन्याओं को स्वंय अपने वर को चुनने का अधिकार था तथा कुछ कन्याएँ चाहे तो जीवन भर ब्रह्मचारिणी भी रह सकती थी, मध्यकाल तक आते–आते कन्यायें इन अधिकारों से वंचित हो गई थी इसके साथ ही विवाह की आयु क्रमशः कम होती गई थी। बाल विवाह के पीछे सुरक्षा तथा सामाजिक तथा नैतिक कारण दिए जा सकते हैं। कन्या के युवती होने से पूर्व ही समाज कन्याओं का विवाह करना अपना नैतिक दायित्व मानने लगा था। सती प्रथा भारत में प्राचीन काल से प्रचलित थी। परंतु यह प्रथा पूर्णतः ऐच्छिक थी। यह किसी धार्मिक क्रियाकलाप का अंग न थी परंतु इसने भी धीरे–धीरे जड़ता तथा कठोर स्वरूप धारण कर लिया था। इस प्रथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को पति के शव के साथ ही जला दिया जाता था। मंदिरों में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। इसके अलावा विवाह के समय कन्या का पिता लड़के के परिवार को उपहार भेंट करता था अतः दहेज जैसी कुप्रथा भी विद्यमान थी। विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध के कारण विधवाओं की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी।

ब्रिटिश सामाजिक सुधार कानून एवं भारतीय प्रतिक्रिया

1. **सती प्रथाः** सती प्रथा को रोकने के लिए 1813 ई० एवं 1817 ई० में नियम बनाए गए। 1813 ई० के नियम के अनुसार नाबालिग, गर्भवती, बलपूर्वक सती की जाने वाली घटना को मजिस्ट्रेट रोक सकता था। इसी समय भारतीयों को एक प्रगतिशील समूह राजा मनमोहन राय के नेतृत्व में सती प्रथा के विरोध में सामने आया। इस समय भारत का गवर्नर–जनरल बैंटिक था। जो सुधारों में रूचि रखता था। उसने 1829 ई० के आज्ञापत्र के अनुसार सती प्रथा को समाप्त घोषित कर उसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया।

2. **भारतीय प्रतिक्रियाः** भारतीयों की मिश्रित प्रतिक्रिया रही। एक ओर कलकत्ता के रूढ़िवादी लोगों ने राधाकांत देव के नेतृत्व में सती विरोधी कानून को हटा लेने की मांग की। दूसरी तरफ प्रगतिशील समूह ने इस एक्ट का समर्थन किया और बहुत से देशी रियासतों में भी इस कानून को पारित किया गया ।

3. **विधवा पुनर्विवाहः** भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न थी और इसका कारण था बाल–विवाह, विधवा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, अशिक्षा आदि। सती प्रथा पर नियंत्रण लगाने से समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी। विधवाओं को समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं रहा। इन्हें पुनः विवाह करने की अनुमति नहीं थ। इन्हें पुनः विवाह करने की अनुमति नहीं थी। अतः भारतीय बुद्धिजीवी एवं प्रगतिशील समूह के ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, पंडित विष्णु शास्त्री जैसे लोगों ने विधवा पुनर्विवाह की दिशा में कार्य किया। 1856 ई० में डलहौजी के समय विधवा पुनर्विवाह कानून बना दिया गया। इस कानून के अनुसार विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया।

4. **भारतीय प्रतिक्रियाः** रूढ़िवादी तत्वों ने इसका विरोध किया और जगह–जगह इस कानून का उपहास उड़ाने की दृष्टि

से व्यंग्यपूर्ण नाटक व गति लिखे गए। किंतु इनका विरोध जनसामान्य का विरोध नहीं बन पाया। प्रगतिशील समूह जिसमें आदि शामिल थे, ने समर्थन किया, 1866 ई० में विधवा पुनर्विवाह संस्था स्थापित की। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, जैसी संस्थाओं ने इस कानून का समर्थन किया।

5. **कन्या शिशु–वधः** पैदा होते ही लड़कियों को मार देने की प्रथा कुछ राजपूत खानदानों, जाटों व अन्य जातियों में प्रचलित थी। यह प्रथा पश्चिम और मध्य भारत में दहेज की कुप्रथा के कारण और भी प्रचलित थी। इसे रोकने के संबंध में बंगाल के 1795 के कानून की 21वीं धारा तथा 1804 के कानून की धारा (3) क अनुसार कन्या शिशु वध को ब्रिटिश प्रदेशों में हत्या का अपराध घोषित कर दिया गया। मगर इन्हें संख्ती से बैटिक एवं हार्डिंग ने लागू किया।

6. **भारतीय प्रतिक्रियाः** इस कुप्रथा की अमानुषिता को सभी भारतीय स्वीकार करते थे। अतः अंग्रेजों द्वारा इसको समाप्त करने के लिए कानून बनाने पर भारतीयों ने किसी प्रकार का विरोध प्रकट नही किया।

निष्कर्ष

19वीं शताब्दी के भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। सामाजिक कुप्रथाओं के वर्णन से महिलाओं की दुर्दशा का आंकलन किया जा सकता है। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार ने अपने शासनकाल के दौरान भारत की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अनेक कानून बनाए। इन कानूनों ने रूढ़िवादी और जड़ परम्पराओं पर चोट की। इन सुधारों ने भारतीय समाज, कुव्यवस्था को सतही तौर पर प्रभावित किया तथा जनता के विशाल बहुमत के जीवन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। शायद एक विदेशी सरकार के लिए इससे ज्यादा करने की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि इन सुधारों के पीछे ब्रिटिश औपनिवेशिक हित ही प्रभावी रहें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Narayan VA. Social History of Modern India: 19th Century (Meerut, 1972)
2. Datta KK. A Survey of Socio-Economic History of India (1707-1813 Calcutta,1961)
3. Bose PN. A History of Hindu Civilization during the British Rule, Vol. II
4. Ashraf KM. Life and Conditions of the People of Hindustan
5. Datta KK. A Social History of Modern India (New Delhi, 1983)
6. O'Malley LSS. Modern India & the West (Oxford, 1968).
7. Virmani RC. British Colonialism in India (Delhi, 1983).
8. Chibhar YA. From Caste to Class (New Delhi, 1968).